

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :— प.7 (38)परि/नियम/मु./2007/ग्रा/9802

जयपुर, दिनांक :— 04/06/2015

कार्यालय आदेश १७ / २०१५

विभाग द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत वाहन स्वामी को पूर्व में आवंटित पंजीयन अनुक्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने के संबंध में आदेश 31.03.2003 जारी किया गया था। आदेश के बिन्दु सं. 2 में आवेदक के पूर्व वाहन पर आवंटित रजिस्ट्रेशन क्रमांक को उसके नये वाहन पर आवंटित करने की प्रक्रिया विहित की गयी है। इसी बिन्दु के उप बिन्दु (3) में यह भी स्पष्ट कहा गया है 'जिस वाहन पर पुराना नंबर रिटेन किया जा रहा है, वो वाहन उस श्रेणी का हो, जिस श्रेणी में वाहन का पुराना नंबर था।' इस क्रम में लेख है कि वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत चारपहिया (गैर-परिवहन) श्रेणी बैठक क्षमता के अनुसार वर्गीकृत न होने के फलस्वरूप इस प्रकार के वाहनों के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तथा इस संबंध में समय-समय पर अधीनरथ कार्यालयों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है। चारपहिया (गैर परिवहन) श्रेणी वाहनों को पूर्व में आवंटित पंजीयन अनुक्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने के संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :—

'ऐसे चार पहिया (गैर-परिवहन) वाहन जो वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत हैं, के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने की स्थिति में प्रथम रिटेनशन आवेदन पर आवेदक द्वारा 5 बैठक क्षमता अथवा 5 बैठक क्षमता से अधिक के चार पहिया (गैर-परिवहन) यान दोनों में से किसी एक श्रेणी के वाहन पर स्वेच्छानुसार रिटेन किया जा सकता है, किन्तु उसी पंजीयन क्रमांक को आगामी रिटेन उसी श्रेणी पर किया जा सकेगा, जो प्रथम रिटेन के समय चुनी गयी थी।'

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत (गैर-परिवहन) श्रेणी यानों के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे।


(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव |
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण |
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन) |
4. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी |
5. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्राग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु |
6. रक्षित पत्रावली |


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)